



उत्तर प्रदेश सरकार

पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुभाग-1

संख्या 1223 (1)/64-1-99-33-97

लखनऊ, दिनांक 29 जून, 1999

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1223/64-1-99-33-97, दिनांक 29 जून, 1999 की प्रति निम्नलिखित की सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ० प्र० शासन ।
- 2—समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयीय, उत्तर प्रदेश ।
- 3—समस्त मण्डलाध्यक्ष/जिलाधिकारी, उ० प्र० ।
- 4—प्रमुख सचिव, महाप्रहियम श्री राज्यपाल, उ० प्र० ।
- 5—राज्य के समस्त उपकर्मों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ० प्र० ।
- 6—प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निदेशक ।
- 7—निदेशक, उ० प्र० सहकारी समितियाँ, लखनऊ ।
- 8—समस्त विज्ञान प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश ।
- 9—समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश ।
- 10—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 11—निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/वैतनिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश ।
- 12—समस्त प्रमुख जिला परिषद्/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उत्तर प्रदेश ।
- 13—निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ ।
- 14—निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश ।
- 15—सचिव, विद्यान समा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।
- 16—सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 17—सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ० प्र०, लखनऊ ।
- 18—निदेशक, उ० प्र० प्रशासनिक अकादमी, मैतीशाल ।
- 19—समस्त निचले सचिव, मा० मंत्रीमण्डल, उ० प्र० शासन ।
- 20—प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन ।
- 21—सचिवालय के समस्त अनुपाय ।
- 22—संबन्धित निदेशक, मूद्रण एवं लेखन-सामग्री, ऐशवाप, लखनऊ को इस आक्षेप से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना की 2099-2000 प्रतिमा प्रशासनिक विधायी परिशिष्ट, भाग-4; खण्ड (ख) परिचालित आदेश व अधिसूचना में दिये गये दिनांक के अनुसार प्रकाशन की तिथि निर्दिष्ट करते हुए पूर्णांकन सहित संलग्न कर शासन की तत्काल उपलब्ध कराते का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

हीरामणि सिंह यादव,

विशेष सचिव